



40

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक

/ 2017 निगरानी III निगरानी अशोकनगर भू.रु/2017

13924

1. बलवीर सिंह पुत्र श्री कमरजी रघुवंशी
2. सौरभ पुत्र श्री बलवीर सिंह रघुवंशी
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह रघुवंशी
4. शिवराम सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह रघुवंशी समस्त निवासीगा ग्राम अखाई टप्पा तहसील व जिला अशोकनगर म.प्र.

.....आवेदक

बनाम

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह रघुवंशी निवासी ग्राम अखाई टप्पा तहसील व जिला अशोकनगर म.प्र.

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसील जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 12अ-70 / 2016-17 द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय ,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अनावेदक द्वारा अखाई टप्पा को भूमि सर्वे नं 584 रकवा 0.836 हे. का भूमि स्वामी है अनावेदक द्वारा उक्त भूमि का दिनांक 6.5.2016 को जो प्रकरण क्रमांक 4अ12/2015-16 सीमांकन कराया है। आवेदकगणों को बगैर सुने , बगैर नोटिस दिये सीमांकन कराया था आवेदकगण की उपस्थिति सीमांकन नही

दिनांक 16-10-2017

16-10-17

23-10-17

23-11-2017

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक तीन-निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/3924

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
12/10/18	<p>प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 12 अ 70/16-17 में पारित अंतरिम पारित दिनांक 10-10-17 के विरुद्ध म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।</p> <p>2/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-1918 से हुये संशोधन अनुसार तहसीलदार अशोकनगर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10-10-17 के विरुद्ध सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रही है अपितु संशोधित संहिता की धारा 54 (क) सपठित 50 (1) (ग) के अनुसार कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष सुनवाई योग्य है। तदनुसार प्रकरण कलेक्टर अशोकनगर की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 28-11-2018 को कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष उपस्थित रहें।</p> <p><u>कलेक्टर अशोकनगर</u></p>	<p>सहस्य</p>